3/15 मा

प्रार्थी पक्ष द्वारा वकील वादी
अनुपस्थित। वकील वादी को सूचना
से तामिल कराया गया सीडी
(सीडी) रिपोर्ट हेतु निर्धारित
किया गया परन्तु अभिलेख आज दिनांक
तक कोई रिपोर्ट सीडी (सीडी) रिपोर्ट
तामिल कराने बाबत
कोई सूचना नहीं है। वकील
वादी को बार बार कहा गया कि
न्यायालय समय से न्यायालय
समय समाप्ति तक मौजूद नहीं
रहे। अतः वकील वादी (वादी)
की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
अतः वकील वादी का पक्ष अभिलेख
से खारिज किया जाता है। प्रार्थना
पत्र निरस्त किया जाता है। वाद हेतुक पैदा
होने पर वाद हेतुक पैदा
होने पर अभिलेख प्रस्तुत
किये जाने पर आगे कार्यवाही
की जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 13:11:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम